[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 2024

सा.का.नि.-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और, सेरॉलॉजी विभाग, कोलकत्ता (वर्ग III और वर्ग IV) भर्ती (संशोधित) नियम, 1973 को, जहां तक उसका संबंध तकनीकी सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सेरॉलॉजी संस्थान,कोलकत्ता में तकनीकी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सेरॉलॉजी संस्थान,कोलकत्ता में तकनीकी सहायक (समहू 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 है ।
   (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**- वह व्यक्ति,-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तकनीकी सहायक	18	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29,200-92,300 रुपये)	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता ।	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**पदोन्नति:** जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3(21,700-69,100 रुपये) में प्रयोगशाला तकनीशियन के इस ग्रेड में 8 वर्षों की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पणी 2:** संशोधित नियमों की अधिसूचना की तिथि को पोषित पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा समान रहेगी। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्ध-सरकारी या संघ शासकीय प्रदेशों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21,700-69,100 रुपये) के पद पर नियुक्ति के पश्चात

		पाँच वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता रखने वाले: 1. मान्यता प्राप्त संस्थानों से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में बीएससी या मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या समकक्ष । टिप्पण 1 : पोषक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए लोग पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित है।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर या वरिष्ठतम सहायक सीरोलॉजिस्ट और रासायनिक परीक्षक, सीरोलॉजी संस्थान, कोलकाता - अध्यक्ष, 2. सहायक सीरोलॉजिस्ट और रासायनिक परीक्षक, सीरोलॉजी संस्थान,कोलकाता - सदस्य, 3. लेखा अधिकारी, सीरोलॉजी संस्थान, कोलकाता - सदस्य, 4. कोलकाता स्थित केंद्र सरकार कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी - सदस्य । समिति की बैठक के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित राजपत्रित अधिकारी को सहयोजित किया जा सकता है।	समूह 'ग' का पद होने के कारण संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(फा. सं.: ए-12018/04/2023-ईपीआई)

(राजेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011-23062959